



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-21072022-237410
CG-DL-W-21072022-237410

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 25]	नई दिल्ली, जुलाई 10—जुलाई 16, 2022, शनिवार/आषाढ़ 19—आषाढ़ 25, 1944
No. 25]	NEW DELHI, JULY 10—JULY 16, 2022, SATURDAY/ASADHA 19—ASADHA 25, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 15 जून, 2022

सा.का.नि. 96.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) संशोधन नियमावली, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा जाएगा) नियम 7 में, उप-नियम (1) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह कि वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक अंशदान का योग उस वित्तीय वर्ष में जमा की गई बकाया अंशदान की रकम के साथ नियम 8 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगा।

3. उक्त नियमों के नियम 8 में-

(क) उप-नियम (1) में, खंड (ख) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि वित्तीय वर्ष में मासिक अंशदान का योग आयकर नियमावली, 1962 के नियम 9घ के उप-नियम (2) के नीचे दिए स्पष्टीकरण के खंड(ग) के उप-खंड(i) में दी गई सीमा से अधिक नहीं होगा।";

(ख) उप-नियम (4) में,-

(1) प्रथम परंतुक का लोप किया जाएगा।

(2) द्वितीय परंतुक में, 'और' शब्द को हटाया जाएगा।

(ग) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(5) उप-नियम (3) के अधीन निर्धारित या उप-नियम (4) के तहत घटाई या बढ़ाई गई अंशदान की रकम उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के अध्यक्षीन होगी";

(घ) उप-नियम (3) में उक्त नियमों के नियम 10 में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक अंशदान की रकम का योग उस वित्तीय वर्ष में अंशदान की बकाया रकम और वसूल किए गए ब्याज के साथ नियम 8 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट सीमा से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगा।"

[फा. सं. 3/6/2021- पी & पी डब्ल्यू (एफ)]

संजय शंकर, उप सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना का.आ. 3000, तारीख 1 दिसंबर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्याक सा.का.नि. 234(अ), तारीख 28 मार्च, 2014 द्वारा संशोधित किए गए।

1. का.आ.1814, तारीख 18.06.1988
2. का.आ.2002, तारीख 02.09.1989
3. का.आ.710, तारीख 04.03.1990
4. का.आ.3006, तारीख 17.11.1990
5. का.आ.3272, तारीख 08.12.1990

6. का.आ.146, तारीख 20.03.1993
7. का.आ.377, तारीख 10.02.1996
8. का.आ.379, तारीख 10.02.1996
9. का.आ.3228, तारीख 23.11.1996
10. का.आ.826, तारीख 25.04.1998
11. का.आ.2500, तारीख 05.12.1998
12. का.आ.2690, तारीख 16.09.2003
13. का.आ.1485(अ), तारीख 30.12.2003
14. का.आ.3682, तारीख 15.10.2005
15. का.आ.1529, तारीख 06.06.2009
16. का.आ.2689, तारीख 22.09.2009
17. का.आ.2869, तारीख 03.10.2010
18. का.आ.3091, तारीख 25.09.2012
19. का.आ.234(अ), तारीख 28.03.2014

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Pension and Pensioners' Welfare)

New Delhi, the 15th June, 2022

G.S.R. 96.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts department, the President here by makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 (herein after referred to as the said rules) In rule 7, in sub-rule (1), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the sum of the monthly subscriptions during a financial year together with the amount of arrear subscriptions deposited in that financial year shall not exceed the limit as specified in the second proviso to clause (b) of sub-rule (1) of rule 8,.

3. In rule 8 of the said rules —

(a) in sub-rule(1), in clause(b), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that the sum of monthly subscriptions in a financial year shall not exceed the threshold limit referred to in sub-clause (i) of clause (c) of the Explanation below sub-rule (2) of rule 9D of the Income Tax Rules, 1962”;

(b) in sub-rule(4),—

(1) The first proviso shall be omitted;

(2) In the second proviso, the word ‘further’ shall be deleted;

(c) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(5) The amount of subscription fixed under sub-rule(3) or reduced or enhanced under sub-rule (4) shall be subject to the minimum and maximum limits specified in sub-rule(1)” ;

(d) in rule 10 of the said rules in sub-rule (3), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that the sum of the monthly subscriptions during a financial year together with arrears of subscription and the interest thereon recovered in that financial year shall, in no case, exceed the limit as specified in the second proviso to clause (b) of sub-rule (1) of rule 8”.

[F. No.3/6/2021-P&PW (F)]

SANJOY SHANKAR, Dy. Secy.

Note: - The principal rules were furnished in the Gazette of India, vide notification S.O. 3000, dated the 1st December 1960 and last amended vide number G.S.R 234 (E), dated the 28th March 2014.

1. SO No 1814 dated 18.06.1988
2. SO No 2002 dated 02.09.1989
3. SO No 710 dated 04.03.1990
4. SO No 3006 dated 17.11.1990
5. SO No 3272 dated 08.12.1990
6. SO No 146 dated 20.03.1993
7. SO No 377 dated 10.02.1996
8. SO No 379 dated 10.02.1996
9. SO No 3228 dated 23.11.1996
10. SO No 826 dated 25.04.1998
11. SO No 2500 dated 05.12.1998
12. SO No 2690 dated 16.09.2003
13. SO No 1485 (E) dated 30.12.2003
14. SO No 3682 dated 15.10.2005
15. SO No 1529 dated 06.06.2009
16. SO No 2689 dated 22.09.2009
17. SO No 2869 dated 03.10.2010
18. SO No 3091 dated 25.09.2012
19. SO No 234 (E) dated 28.03.2014

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 97.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और

(i) राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1988 को, जहां तक उसका संबंध मानचित्र क्यूरेटर, पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय सहायक के पद से है और (ii) राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (ज्येष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती नियम, 1990 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और

प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन, पुस्तकालय और सूचना सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु.—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
पुस्तकालय और सूचना सहायक	6* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400 - 112400 रु.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	
(7)	
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री। (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्था के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा। टिप्पण 1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण :- पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या

		इससे अधिक अवधि के लिये बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव है।
--	--	--

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेदन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिये) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - अध्यक्ष - संबद्ध निदेशक/ उप-सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य - संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य - ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. एस एम/02/16/2020]

अनीता धादरा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**(Department of Science and Technology)**

New Delhi, the 8th July, 2022

G.S.R. 97.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of (i) the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 1988, in so far as it relates to the posts of Map Curator, Librarian and Library Assistant, and (ii) the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Senior Librarian) Recruitment Rules, 1989, and except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Library and Information Assistant (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Library and Information Assistant	6* (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group- 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 6 in the pay matrix. (Rs.35400-112400)	Not Applicable

Age-limits for direct recruits.

(6)

Not exceeding 30 Years of age

(Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with instructions or orders issued by Central Government.)

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.

(7)

Essential:

- (i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institute.
- (ii) Two years professional experience in a Library under Central Government or State Government or Union Territories Administration or Autonomous or statutory organization or Public Sector Undertakings or University or recognised research or educational Institution.

Desirable:

Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades, from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not Applicable	Two years	Direct Recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government, - (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).	Not Applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group-‘B’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) Consisting of :— 1. Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation – Chairman 2. Director/ Deputy Secretary concerned, Department of Science and Technology – Member 3. Joint Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation – Member 4. Senior Administrative Officer/ Head of Office, National Atlas and Thematic Mapping Organisation – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. SM/02/16/2020]

ANITA DHADRA, Under Secy.